

परियोजना का नाम— केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान, पन्तनगर को लौज पर दी गयी वन भूमि का लौज नवीनीकरण किया जाना।

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके दैवानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
 2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
 3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
 4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके भूमिक्षेत्र कर लिया गया है कि मौगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
 5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्वाचित मुआवजे के भुगतान उत्तर विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत है।
 6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
 7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
 8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आचारित एवं वन जन्तुओं से भरा हुआ वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद भी भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
 9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
 10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमिका उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि रखते बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
 11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेट तथा समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सांगित्री द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अधियन्ता, सांगित्री के अतिरिक्त मुख्य अधियन्ता, पर्यावरण विभाग को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-२-८२ में निर्हित आदेशों का पालन भी सांगित्री द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खबर से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
 12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित द्वारा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
 13. वन भूमि पर खड़े यूक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से यूक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा यूक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
 14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले यूक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुर्गने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा ३ वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। १००० मीटर एवं ३० डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े यूक्षों का पातन भी निविद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे यूक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही होगा।
 15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्मों की ऊना करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की ऊनों पट्टीयों को पक्का करना अग्र आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
 17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
 18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

Balaji

प्रयोक्ता एवं सी०

प्रभारी वैज्ञानिक

SCIENTIST-IN-CHARGE

सीमेप संसाधन केन्द्र, पन्तनगर

CIMAP RESOURCE CENTRE, PANTNAGAR